झारखण्ड सरकार

कार्यालय – वन प्रंमडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

☎ 06546-222339, Fax no.06546-222339, Email- dfohazwest@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक : 1944 दिनांक: 04/4/18

सेवा में,

वन सरंक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
हजारीबाग।

विषयः– **मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द अर्पणा देवी द्वारा करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु 14.17 हे0 वनभूमि के अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉची का पत्रांक 1218 दिनांक 28.07.2017 , वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग पत्रांक 766 दिनांक 19.03.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में प्राप्त निर्देशानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को पत्र लिखा गया था। उक्त पत्र के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पृच्छाओं का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

निराकरण प्रतिवेदन में प्रयोक्ता संस्थान ने स्पष्ट किया है कि :–

(क) वर्त्तमान में खनन क्षेत्र में Contour/Surface Level 390 मीटर समुद्र तल से है। उक्त सतह से खनन 60 मीटर गहराई 10 वर्षों में किया जायगा। 60 मीटर गहराई पर Contour/Surface Level 330 मीटर होगा।

(ख) अपयोजित होने वाली वन भूमि से 65 मीटर की गहराई पर Water Table विद्यमान है। अतः 60 मीटर खनन करने में Water Table नहीं आयेगा।

उक्त पृच्छा के क्रम संख्या 1 एवं 2 का निराकारण कर नक्शा पर भी दर्शाया गया। (नक्शा संलग्न है) साथ ही पृच्छा संख्या 6 में अद्योहस्ताक्षरी का मन्तव्य चौपारण प्रक्षेत्र के मौजा करमा वन में (अधिसूचित असिमांकित सुरक्षित वन) अवैध पत्थर खनन के मामले में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 के तहत वन वाद संख्या 108/2016, 109/2016, 223/2016, 387/2016, 388/2016,

389/2016, 609/2016, 653/2017, 63/2018 एवं 64/2018 इन सभी वादों में अभियोजन प्रतिवेदन न्यायालय भेजा जा चुका है। करमा मौजा के असिमांकित अधिसूचित वन भूमि पर खनन विभाग द्वारा खनन पट्टा पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका था। जिसे रद्द करने हेतु बार–बार जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग एवं उपायुक्त, हजारीबाग को पत्र द्वारा एवं मौखिक भी अनुरोध किया जा रहा है। उक्त अवैध खनन् का अंतिम अपराध प्रतिवेदन (अभियोजन) न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः प्राप्त संशोधित निराकरण प्रतिवेदन अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

आपका विश्वासी,

04/4/18

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

04/4/18